2017/00124 (11)

शांति / मेवाराम

17-1-18 वकील उभयपक्ष उप0/ प्रार्थना पत्र 0.1 R 10 cpc पर बहस सुनी / अभिभाषक वादी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर अनापत्ति की / प्रार्थना पत्र 0.1 R 10 cpc स्वीकार किया जाता है। वकील वादी द्वारा साथ ही संशोधित शीर्षक पेश किया / प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुना गया। आराजी खसरा नम्बर 57 में से 1/2 हिस्सा सोनदेवी प्रतिवादी से पक्षों बेचान किया गया है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव में मेवाराम के हिस्से में आई आराजी खसरा नं. 57/2 रकबा 13 बिस्वा को सोनदेवी क्रेता को दिये जाने पर सहमति जाहिर की। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर प्रसारित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।